न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 223/2025

प्रार्थीया	वनाम	अप्रार्थीगण
1. उर्मिला टांक पत्नी राजेश टांक निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. चौलाराम पुत्र रावतराम के वारिसान 1/1 गणपत पुत्र चौलाराम 1/2 प्रकाश पुत्र चौलाराम 1/3 महेन्द्र पुत्र चौलाराम 1/4 कैलाश पुत्र चौलाराम 1/5 केसरी पत्नी चौलाराम 2. चन्द्राराम पुत्र रावतराम के वारिसान 2/1 मदन पुत्र चन्द्राराम 2/2 दयालराम पुत्र चन्द्राराम 2/3 गुणेशराम पुत्र चन्द्राराम 2/4 लक्ष्मी पुत्री चन्द्राराम 2/5 शान्ति पुत्री चन्द्राराम 2/6 नौजाई पत्नी चन्द्राराम 2/7 प्यारेलाल पुत्र मदनलाल 2/8 नौरत पुत्र मदनलाल 2/9 रूकमा पुत्री मदनलाल 2/10 कौशल्या पुत्री मदनलाल 2/11 सुनिता पुत्री मदनलाल 2/12 ललिता पुत्री मदनलाल 2/13 कैलम पत्नी मदनलाल 3. नैनाराम पुत्र रामाराम के वारिसान 3/1 श्रवण पुत्र नैनाराम 3/2 शारदा पुत्री नैनाराम 3/3 श्याम पुत्र बाबुलाल 3/4 माणक पुत्र बाबुलाल 3/5 जवरी पुत्र बाबुलाल 3/6 मीरा पुत्री विरमराम 3/7 मंजू पुत्री विरमराम 3/8 लक्ष्मी पत्नी विरमराम 3/9 भाणाराम पुत्र विरमराम 3/10 प्रकाश पुत्र विरमराम 3/11 राकेश पुत्र विरमराम 3/12 गुड़ीया पुत्री विरमराम 3/13 सुशीला पुत्री विरमराम 3/14 पुजा पुत्री विरमराम 4. भंवराराम पुत्र मंगलाराम के वारिसान 4/1 कमली पुत्री भंवरलाल 4/2 हापुराम पुत्र भंवरलाल 4/3 बालुराम पुत्र भंवरलाल जातिगण बावरी निवासीगण चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान । 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी

(भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित

दिनांक – 18/09/2015

–: निर्णय :–

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्ड़ावल में प्रार्थीया की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 1731 रकबा 1.5900 हैक्टर, खसरा संख्या 2984/1721 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा संख्या 2980/1715 रकबा 2.3200 हैक्टर में 1/2 हिस्से की कृषि भूमि आई हुई है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के चिपते ही आम रास्ता की भूमि डामर सड़क 1613 आई हुई है, जौ गैर मुमकिन रास्ता है, इस प्रकार आम रास्ता के नये नम्बर 1613 हैं जिसके पुराने नम्बर 1930 मी. हैं जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार दस्तावेज से प्रमाणित है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के पास रास्ते की भूमि में ही अप्रार्थीगण की खातेदारीसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1720/2597 किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1720/2597 रास्ता का ही भाग है। उक्त भूमि कभी भी बारानी दोयम नहीं रही है। क्योंकि राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया जाता हैं तो खसरा मिलान बन्दोबस्त में नये नम्बर 1720/2597 के पुराने नम्बर 1930 मी. दर्ज हैं लेकिन राजस्व अधिकारीयों ने द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान किस्म परिवर्तन कर गलत व त्रुटिवश बारानी दोयम दर्ज किया है। जिस गलती को सुधार किया जाना कानून्न आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार खाता संख्या 401 बसरह सदर अलावा जोत नाकाबिल काश्त रास्ता में खसरा नम्बर 1930 मी. रकबा साढे बाईस बीघा दर्ज है, गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 1930 मी. से ही खसरा नम्बर 1720/2597 का निर्माण हुआ था, इसलिए राजस्व अधिकारीयों ने सम्वत् 2033 में सेटलमेन्ट के समय दस्तावेज की संरचना करते समय भूल से लिपिकिय त्रुटि से खसरा नम्बर 1930मी. गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर नये खसरा नम्बर 1720/2597 की किस्म बारानी दोयम दर्ज कर दी जो अशुद्ध दस्तावेज की संरचना हुई है। प्रार्थी व प्रार्थी के प्रिंसिपल विक्रेता के समय से उनकी कृषि भूमि के चिपते ही रास्ता रहा है। कभी भी बारानी दोयम की भूमि नहीं रही है। लेकिन अप्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा राजस्व अधिकारीयों से मिलावट कर पुराने समय में हाथा जोड़ी कर सेवा भावना से राजस्व अधिकारीयों को प्रेरित कर बाले बाले विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2010–2019 इससे पूर्व के दस्तावेज की जांच किए बिना, मौके पर रास्ता होते हुए भी रास्ता की किस्म को बदलकर बारानी दोयम अशुद्ध रूप से अंकन कर आंवटन आवेदन सही जांच किए बिना ही खसरा नम्बर 1720/2597 में बारानी दोयम कर रास्ते की भूमि का आंवटन जारी कर दिया है। जबकि मौके व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता ही दर्ज है। इसलिए पुराने रेकर्ड के आधार पर खसरा नम्बर 1720/2597

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

की किस्म बारानी दोयम जो अशुद्ध व लिपिकिय त्रुटि से दर्ज हैं, जिसमें सुधार कर खसरा नम्बर 1720/2597 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करना कानून आवश्यक है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 1720/2597 पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर रास्ता ही कायम है। तत्कालिन राजस्व अधिकारीयो द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पुराने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किए बिना ही गैर मुमकिन रास्ता की भूमि की किस्म बदलकर बारानी दोयम कर अप्रार्थीगण के पूर्वजों को विधि विरुद्ध तरीके से दिनांक 24/07/1980 को आंवटित कर दी, राजस्व अधिकारीयों को किस्म परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त किस्म परिवर्तन लिपिक त्रुटि से हुई है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल के खसरा नम्बर 1720/2597 रकबा 0.2600 हैं0 में किस्म बारानी दोयम दर्ज हैं, पुराने दस्तावेज के आधार पर उक्त त्रुटि को दुरस्त कर बारानी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व शुद्धि करने का आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामीली न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।

प्रकरण में वादग्रस्थ कृषि भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/1339 दिनांक 16.09.2025 के जरिये निवेदन किया कि बर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी अनुसार खसरा नं0 1720/2597 रकबा 0.26 है० किस्म बारानी दोयम गणपत पुत्र चौलाराम जाति बावरी सा० देह वगैरहा खातेदार दर्ज है। उक्त खसरा 24.07.1980 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1956 की धारा 101 के तहत छोटी पट्टी के तहत आवंटित अधिकारी द्वारा आवंटित की गयी थी। जिसकी फोटो प्रति पत्र के संलग्न प्रेषित है। उक्त खसरा 1720/2597 प्रथम भू प्रबंध 2010 से 2019 में खसरा नं० 1930 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै०मु० रास्ता से अलग होकर बना है। उक्त आवंटन खसरा नम्बर 1720/2597 की किस्म बारानी दोयम दर्ज है। उक्त किस्म परिवर्तन वक्त सैटलमेंट (भू प्रबंध) के दौरान ही हुआ है, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं0 2984/1721, 1731 तथा ख.नं. 1613 गै0मु0 सड़क के चिपते अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 1720/2597 स्थित हैं, उक्त खसरा प्रथम भू प्रबंध 2010 से 2019 में खसरा नं० 1930 मी0 रकबा 22 वीघा 16 बिस्वा किस्म गै०मु० रास्ता से अलग होकर बना है। तत्कालिन राजस्व अधिकारीयो द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पुराने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किए बिना ही गैर मुमकिन रास्ता की भूमि की किस्म बदलकर बारानी दोयम कर अप्रार्थीगण के पूर्वजों को विधि विरुद्ध तरीके से दिनांक 24/07/1980 को आंवटित कर दी, राजस्व अधिकारीयों को किस्म परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वक्त सैटलमेंट (भू

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रबंध) के दौरान हुये उक्त किस्म परिवर्तन को दुरूस्त कर बारानी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व शुद्धि करने का आदेश फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीया पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। खसरा मिलान के अनुसार खसरा नंबर 1720/2597 पुराने खसरा नंबर 1930 मी से बना हैं। जमाबंदी सम्वत् 2010–2019 के अनुसार खसरा नंबर 1930 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता बसरह सदर अलावा जोत नाकाबिल काश्त रास्ता दर्ज सुदा हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा प्रथम सैटलमेंट के दौरान गै0मु0 रास्ता का ही भाग था तथा तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उक्त किस्म परिवर्तन वक्त सैटलमेंट (भू प्रबंध) के दौरान ही होना अंकित किया हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किस्म बारानी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल तह0 सोजत के खसरा नम्बर 1720/2597 रकबा 0.2600 हैं0 किस्म बारानी दोयम की किस्म को दुरस्त कर बारानी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने व शुद्धि करने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत